

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक एफ 4(29)ग्रावि/नरेगा/निरी./2014

जयपुर दिनांक

28 OCT 2014

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम  
राजस्थान ।

विषय:-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रातः निरीक्षण  
(Morning Inspections) प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार के स्थान पर सिर्फ  
माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को किये जाने के सम्बन्ध में

प्रसंग:-इस विभाग का सम संख्यक पत्र दिनांक 07.07.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे कि सभी कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं ग्रामसेवक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का सप्ताह में दो दिन प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को कार्य प्रारम्भ समय से सघन निरीक्षण करेंगे ।

वर्तमान में कम कार्य चालू होने से उक्त निर्देशों में संशोधन करते हुए पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं कि आगामी आदेशों तक उक्त सभी अधिकारीगण अब महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चल रहे अथवा पूर्ण हो चुके कार्यों का सप्ताह में दो दिन के स्थान पर माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को कार्य प्रारम्भ समय से सघन निरीक्षण करेंगे एवं साथ ही ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित रोजगार सहायक कार्यालय का भी निरीक्षण करेंगे ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक व विकास अधिकारीगण निरीक्षण हेतु जाने वाली टीम को रवाना कर, उनकी संख्या/विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के मोबाईल नं0 9828596446 पर प्रातः 8.30 बजे एस.एम.एस. द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें । साथ ही विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की विस्तृत संकलित रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक व विकास अधिकारीगण द्वारा प्रारूप परिशिष्ट-2 में ई-मेल से सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को प्रस्तुत की जावे तथा सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक व विकास अधिकारीगण द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी nrega.raj@gmail.com पर आवश्यक रूप से सांय 5.00 बजे तक मेल की जाए ।


अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे ।

भवदीय,

(डा0 समित शर्मा)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
2. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय ।
3. समस्त अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, राजस्थान
4. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, राजस्थान ।
5. रक्षित पत्रावली ।

  
(एम.डी.मीना )  
अति.आयुक्त, प्रथम, ईजीएस